रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022026-270087
CG-DL-E-12022026-270087

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 12, 2026/माघ 23, 1947
No. 119] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 12, 2026/MAGHA 23, 1947

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 125(अ).— केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण (सेवा तीर्थ के उद्घाटन के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **सिक्के का मूल्यवर्ग. —** सेवा तीर्थ के उद्घाटन के अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए केंद्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी किये जाने के लिए टकसाल में एक सौ रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का ढाला जाएगा ।

3. **सिक्के की विमाएं और संरचना. —** नियम 2 में उल्लिखित मूल्य वर्ग का सिक्का निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होगा ,अर्थात्:-

सिक्के का मूल्यवर्ग	आकृति और बाह्य व्यास	दांतेदार किनारे की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	**शुद्ध चांदी** चांदी – 99.9 प्रतिशत
			निकिल चांदी तांबा – 60 प्रतिशत निकिल – 20 प्रतिशत जस्ता – 20 प्रतिशत

4. **डिज़ाइन. —** सिक्के का डिज़ाइन वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

5. **मानक वजन और अनुज्ञात उपचार. —** सेवा तीर्थ के उद्घाटन के अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए नियम 2 में निर्दिष्ट मूल्यवर्ग के सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

पहली अनुसूची

[नियम 4 देखें]

एक सौ रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे **"सत्यमेव जयते"** लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में **"भारत"** शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में **"INDIA"** शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक **"₹"** और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य **"100"** भी होगा ।

पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग के मध्य में सेवा तीर्थ भवन का चित्र होगा। भवन के चित्र के ऊपर देवनागरी लिपि में "**सेवा तीर्थ**" और अंग्रेजी में "**SEVA TEERTH**" लिखा होगा और भवन के चित्र के नीचे एक कमल के फूल का चित्र बना होगा। सिक्के की निचली परिधि पर देवनागरी लिपि में "**नागरिकदेवो भव**" और अंग्रेजी में "**NAGRIKDEVO BHAVA**" लेख उत्कीर्णित होगा। सिक्के की ऊपरी परिधि पर वर्ष "**2026**" उत्कीर्णित होगा और वर्ष "**2026**" के दोनों ओर बारह बिंदु उत्कीर्णित होंगे।

दूसरी अनुसूची

[नियम 5 देखें]

सिक्के का मूल्यवर्ग	धातु संरचना	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
			धातु संरचना में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
एक सौ रुपये	शुद्ध चांदी	40 ग्राम	प्रति 1000 में 999 भाग चांदी। चांदी के अंश की सहनशीलता 999 और उसके ऊपर होगी ।	1/8000वें हिस्से की वृद्धि या कमी, अर्थात् वजन 39.995 ग्राम से 40.005 ग्राम तक हो सकता है।
	निकिल चांदी	32 ग्राम	तांबे, निकिल और जस्ते के लिए 1/100वें हिस्से की वृद्धि या कमी, अर्थात् तांबे का अंश 59 प्रतिशत से 61 प्रतिशत तथा जस्ता और निकिल का अंश 19 प्रतिशत से 21 प्रतिशत तक हो सकता है।	1/40वें हिस्से की वृद्धि या कमी, अर्थात् वजन 31.2 ग्राम से 32.8 ग्राम तक हो सकता है।

[फा. सं. 02/11/2026-सिक्का]

अपर्णा भाटिया, सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2026

G.S.R. 125(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement.— (**1) These rules may be called the Coinage (Issue of commemorative coin on the occasion of inauguration of Seva Teerth**)** Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coin.—** The coin of One Hundred Rupees denomination shall be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government to commemorate the occasion of inauguration of Seva Teerth.

3. **Dimension and composition of coin.—** The denomination of the coin mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and compositions, namely: -

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	Circular 44 millimeters	200	**Pure Silver** Silver - 99.9 per cent.
			Nickel Silver Copper-60 per cent. Nickel-20 per cent. Zinc-20 per cent.

4. **Design.—** The design of the coin shall be as specified in the First Schedule annexed to these rules.

5. **Standard weight and remedy allowed.—** The standard weight of the coin of denomination referred to in rule 2 to commemorate the occasion of inauguration of Seva Teerth and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule annexed to these rules.

FIRST SCHEDULE

[*See* rule 4]

ONE HUNDRED RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of the Ashoka Pillar at the centre with the legend "**सत्यमेव जयते** "inscribed below, flanked on the left periphery with the word "**भारत** "in Devanagari script and on the right periphery with the word "**INDIA**" in English. It shall also bear the Rupee symbol "**₹**" and denominational value "**100**" in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of the coin shall bear the image of Seva Teerth building at the centre of the coin. The inscription **"सेवा तीर्थ"** in Devanagari script and "**SEVA TEERTH"** shall be inscribed above the image of building in English and one lotus flower image shall be inscribed below the image of building. The inscription **"नागरिकदेवो भव"** in Devanagari script and **"NAGRIKDEVO BHAVA"** in English shall be depicted on the lower periphery of the coin. The year **'2026'** shall be inscribed on the upper periphery of the coin and twelve dots shall be inscribed on both sides of the year 2026.

SECOND SCHEDULE

[*See* rule 5]

Denomination of the coin	Metal Composition	Standard weight	Remedy allowed	
			In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
One Hundred Rupees	Pure Silver	40 Grams	999 parts of silver per 1000. The tolerance for Silver content shall be 999 and above.	1/8000th plus or minus that is to say, the weight could be 39.995 grams to 40.005 grams.
	Nickel Silver	32 Grams	1/100th plus or minus for Copper, Nickel and Zinc, that is to say, Copper content could vary from 59 per cent to 61 per cent and Zinc and Nickel content could vary from 19 per cent to 21 per cent.	1/40th plus or minus, that is to say, the weight could vary from 31.2 grams to 32.8 grams.

[F. No. 02/11/2026-Coin]

APARNA BHATIA, Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.